कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0/एस0एस0–1/श0स्था0नि0/ S.S (UDM) **दिनांक–**

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, बनमनखी
जिला– पूर्णियाँ

महाशय,

नगर पंचायत, बनमनखी के वर्ष 2013–14 से 2015–16 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 279/16–17 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर परिषद बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

–ह0–
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0/सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0/एस.एस.–1/श0स्था0नि0/ 14607/277 **दिनांक–** 11.11.16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, पूर्णियाँ

तनवीर इमन 11/11/16
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0/सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

प्रधान सचिव कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना — पत्र — 16 NOV 2016 — प्राप्ति तिथि
प्रधान सचिव कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना — पत्र पंजी — 17 NOV 2016 — संख्या 12879

२०५

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना

निरीक्षण प्रतिवेदन सं.– 279/16–17

भाग –I

प्रस्तावना

1	निरीक्षित इकाई का नाम	नगर पंचायत, बनमनखी
2	लेखापरीक्षा की अवधि	2013–14 से 2015–16
3	लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	अंकेक्षण में जांच किये गये अभिलेखों एवं पंजियों की सूची प्रतिवेदन के परिशिष्ट–i में दर्शायी गयी है। जिन अभिलेखों एवं पंजियों को अंकेक्षण में उपस्थापित नहीं किया गया था, अधूरा संधारित था या संधारित नहीं था, को परिशिष्ट– ii में दर्शाया गया है।
4	लेखापरीक्षा की कार्य अवधि	19-04-2016 से 26-04-2016
5	**प्रशासन**	
	अध्यक्ष	कार्यअवधि
	1 श्रीमति नीलम देवी	01.04.13 से 09.09.14 तक
	2 श्रीमति संजना देवी	27.09.14 से अबतक
	उपाध्यक्ष	कार्य अवधि
	1. श्री नवरतन चौधरी	01.04.13 से 06.05.15 तक
	2. श्री विरेन्द्र प्रसाद सिंह	01.07.15 से अबतक
	कार्यपालक पदाधिकारी	
	1. श्री निर्मल कुमार	01.04.13 से 18.10.13 तक
	2. श्री मनीष कुमार	18.10.13 से 06.04.15 तक
	3. श्री संजय कुमार सिंह	06.04.15 से 01.06.15 तक
	4. श्री मनीष कुमार	01.06.15 से 06.09.15 तक
	5. श्री संजीव कुमार सिंह	06.09.15 से अबतक
6	लेखापरीक्षा दल के सदस्य	श्री प्राण रंजन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री विकाश कुमार पांडे, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री अमीत कुमार, वरीय लेखापरीक्षक
7	निरीक्षण अधिकारी का नाम	श्री राजनन्दन कुमार, वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
8	पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	अनेक बार स्मारित करने के बावजूद लेखापरीक्षा के दौरान पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन अंकेक्षण में उपस्थापित नही किया गया, जिसके कारण लंबित कंडिकाओं के निस्तारण की अनुशंसा लेखापरीक्षा दल द्वारा नही की जा सकी। कार्यपालिका का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करते हुए सलाह दी जाती है कि पूर्ववर्ती अंकेक्षण की लंबित कंडिकाओं के अनुपालन हेतु शीघ्र प्रभावी कदम उठाया जाय।
9	अंकेक्षण टिप्पणी	जिन अंकेक्षण आपत्तियों का निस्तारण इकाई के अंकेक्षण के दौरान नहीं हो सका, उन्हें इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

203

10 क्या कार्यपालक पदाधिकारी के साथ हॉ, दिनांक 26.04.16 को आपत्तियों पर चर्चा की गयी

11 लेखापरीक्षा परिणाम

1	लेखापरीक्षा के दौरान वसूली गयी राशि	8057
2	वसूली हेतु सुझायी गयी राशि	1471103.18
3	अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी गयी राशि	37435728

(विवरण परिशिष्ट– VII पर)

12 वित्तीय अधिदृश्य

क्र0सं0	विवरण	2013–14	2014–15	2015–16
1	प्रारम्भिक शेष	21371527.50	25846178.50	43265542.50
2	प्राप्ति			
I	अनुदान	10042693	26849841	15456488
II	सूद की राषि	183909	400134	1519416
III	अन्य	286225	286225	2992135
3	वर्ष की प्राप्ति (I सेIII)	10512827.50	27536200.50	19968039
4	कुल प्राप्ति (1+2)	31884354.50	53382378.50	63019139.50
5	व्यय			
I	स्थापना	83841	1273235	2109220
II	योजनां	5939298	8452681	24051819.20
III	अन्य व्यय	15037	390920	4724603
6	कुल व्यय (I + II)	6038176	10116836	30885642.20
7	अंतशेष (5–7)	25846178.50	43265542.50	32133497.30

<u>दावा अस्वीकरण प्रमाण पत्र</u>

<u>(DISCLAIMER CERTIFICATE)</u>

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बनमनखी द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध कराई गई सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार कार्यालय इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

<u>भाग –II क</u>

कंडिका सं. 1 <u>डस्टबीन के कय में अनियमितता ₹ 25.31 लाख</u>

नगर पंचायत बनमनखी के बोर्ड के बैठक पंजी के अनुसार दिनांक 27.07.15 के बैठक के प्रस्ताव सं 12 के अनुसार निम्न सामग्री कय करने का निर्णय लिया गया

सामग्री का नाम	संख्या
डस्टबीन 40 ली	400
डस्टबीन 20 ली	2000
बीनकार्ट	6

डस्टबीन के क्रय संबंधित संचिका से स्पष्ट होता है कि निम्नलिखित संख्या के लिए निविदा आमंत्रण सूचना प्रकाशित की गई

सामग्री का नाम	संख्या
बीन (डस्टबीन) 40 ,20,10 ली (ढक्कन सहित)	1
बीनकार्ट 6 सीटर /8 सीटर	1

चयनित एजेंसी रिलायबल इंटरप्राइजेज पटना को आपूर्ति आदेश पत्रांक 957 दिनांक 16.02.16 के द्वारा निम्नलिखित सामग्रियों के लिए दिया गया –

सामग्री का नाम	संख्या	स्वीकृत दर (वैट सहित)	कुल राशि
डस्टबीन 40 ली (ढक्कन सहित)	100	1450	145000
डस्टबीन 20 ली (ढक्कन सहित)	1500	775	1162500
डस्टबीन 10 ली(ढक्कन सहित)	2500	598	1495000
बीनकार्ट 6 सीटर	10	44500	445000

फर्म को भुगतान का विवरण निम्न प्रकार है–

सामग्री	मात्रा	दर	कुल राशि	वैट 5 प्रतिशत	सुरक्षित जमा राशि 5 प्रतिशत	आपूर्तिकर्ता को भुगतान की गई राशि
डस्टबीन 20 ली (ढक्कन सहित)	1500	738.10	1107142.86	126547	126547	2404396 (cheque no A637037 dated 19.03.16)
डस्टबीन 10 ली (ढक्कन सहित)	2500	569.52	1423800			
	4000		2530942.86			

उपरोक्त सामग्री क्रय हेतु निविदा निकाली गई जिसमें तीन एजेंसियों के दरों पर विचार किया गया। अधिकतम दर वाले एजेंसी रिलायबल इंटरप्राईजेज पटना को आपूर्ति आदेश निर्गत किया गया। प्राप्त निविदाओं के आधार पर न्यूनतम दर एवं अधिकतम दर के अंतर के कारण अधिक व्यय की गई राशि का विवरण निम्नलिखित है –

(20)

सामग्री का नाम	स्वीकृत दर	न्यूनतम दर	दर में अंतर	आपूर्ति की गई सामग्री की सं	अधिक व्यय की गई राशि
डस्टबीन 40 ली(ढक्कन सहित)	1450	642	808	अनुपलब्ध	
डस्टबीन 20 ली(ढक्कन सहित)	775	494	281	1500	281 X 1500 = 421500
डस्टबीन 10 ली(ढक्कन सहित)	598	340	258	2500	258 X2500 = 645000
बीनकार्ट 6 सीटर	44500	40433	4067	अनुपलब्ध	
कुल				4000	1066500

कय समिति के प्रस्ताव सं 4 के अनुसार बीन डस्टबीन 40/20/10 लीटर ढक्कन सहित कय हेतु निविदा आमंत्रण के विरूद्ध कुल तीन निविदादाता के द्वारा निविदा डाली गई। निविदा खोलने के कम में तीनों निविदादाता के द्वारा तकनीकी बीड अर्हता पूर्ण किये जाने के फलस्वरूप वित्तीय बिड खोला गया। वित्तीय बिड में न्यूनतम दर दाता क्वालटी इनभेरो पटना के द्वारा मात्र दो वर्ष वारंटी दी गई है परंतु 30 डिग्री से 70 डिग्री तक constant का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। जबकि द्वितीय दर दाता के द्वारा वारंटी पॉच वर्ष दिया गया है परंतु constant का प्रमाणपत्र संलग्न नहीं किया गया है। constant का प्रमाणपत्र संलग्न निविदादाता रिलायबल इटरप्राइजेज पटना को सर्वसम्मति से डस्टबीन आपूर्ति आदेश निर्गत करने पर सहमति दी गई।

कय समिति के द्वारा वारंटी पर विचार किया गया जबकि निविदा आमंत्रण सूचना में वारंटी हेतु निश्चित वर्ष का उल्लेख नहीं किया गया था। साथ ही निविदा आमंत्रण सूचना में शामिल विशिष्टता 30 डिग्री से 70 डिग्री तक constant का प्रमाण पत्र संलग्न करने के बिन्दु का कोई आधार संचिका में स्पष्ट नहीं किया गया था। चयनित एजेंसी रिलायबल इंटरप्राइजेज पटना का 30 डिग्री से 70 डिग्री तक constant का विशिष्टता प्रमाण पत्र संचिका में उपलब्ध नहीं था। चयनित एजेंसी द्वारा गारंटी /वारंटी संबंधित को प्रमाण पत्र अथवा इकरारनामा भी लेखापरीक्षा तिथि तक नही किया गया था। जबकि कार्यादेश के अनुसार वारंटी संबंधित एकरारनामा के बाद ही भुगतान किया जाना था। साथ हीं 40 लीटर डस्टबीन एवं बिनकार्ट की आपूर्ति एवं भुगतान संबंधित जानकारी संचिका में उपलब्ध नहीं है I जबकि आपूर्ति आदेश के अनुसार 21 दिनों के अंदर सामग्री की आपूर्ति कर दिया जाना चाहिए था ।

लेखापरीक्षा द्वारा निम्न आपत्तियॉ उठाई गई–

1. बिना बोर्ड के प्रस्ताव के डस्टबीन 10 ली (ढक्कन सहित) के 2500 की संख्या में क्रय पर व्यय की राशि 1495000 रू (2500X598) अनियमित व्यय है। अनियमित व्यय 1495000 रू का कारण लेखापरीक्षा को स्पष्ट नहीं किया गया।

2. निविदा आमंत्रण सूचना में शामिल विशिष्टता 30 डिग्री से 70 डिग्री तक constant का प्रमाण पत्र संलग्न करने के बिन्दु का आधार लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। चयनित एजेसी द्वारा प्रस्तुत 30 डिग्री से 70 डिग्री तक constant का प्रमाण पत्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

3. बिना गारंटी /वारंटी संबंधित प्रमाण पत्र अथवा इकरारनामा के एजेंसी को भुगतान किये जाने का कारण स्पष्ट नहीं किया गया।

4. निविदा आमंत्रण सूचना में सभी सामग्रियों का 1 अदद क्रय हेतु ही विज्ञापित किया गया जबकि आपूर्ति आदेश 4000 डस्टबीन (20 लीटर – 1500, 10 लीटर – 2500) का दिया गया । सामग्रियों के अधिक संख्या में विज्ञापित होने से अधिक प्रतिस्पर्धी दर प्राप्त हो सकता था जिससे नगर पंचायत वंचित रहा ।

5. डस्टबीन का क्रय न्यूनतम दर निविदादाता से नही लेकर अधिकतम दर वाले निविददाता से किया गया जिससे नगर पंचायत का 1066500 रू अतिरिक्त व्यय हुआ।

6. उपरोक्त क्रय किये गये डस्टबीन के स्टाक प्राप्ति संबंधित भंडार पंजी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

7. डस्टबीन के नगर पंचायत में आवश्यकता संबधित सर्वे या विश्लेषण लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपरोक्त आपत्तियों के जवाब में नगर पंचायत द्वारा कहा गया कि जॉचोपरांत उचित कारवाई की जायेगी।

एक अदद सामाग्री की क्रय हेतु निविदा आमंत्रित कर 4000 अदद सामाग्री की क्रय किया जाना कपटपूर्ण निविदा या क्रय की श्रेणी में आता है। अतः राशि25.31 लाख का व्यय अनियमित है।

कंडिका सं.– 2 सोलर लाईट के क्रय पर निष्फल व्यय

नगर पंचायत, बनमनखी के क्रय संबंधित संचिका एवं बोर्ड की बैठक पंजी के नमूना जॉच से स्पष्ट होता है कि बोर्ड के निर्णय के आलोक में 70 सोलर लाईट के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु निदेशक, ब्रेडा पटना को लिखा गया। विवरण निम्नलिखित है

पत्रांक / तिथि	चेक स	तिथि	राशि	मद	सोलर लाईट की संख्या	टिप्पणी
74/23.01.14	593288	23.01.14	1717350	स्थापना (स्वंय के स्रोत)	60	
75/23.01.14	607462	23.01.14	286225	चतुर्थ राज्य वित आयोग	10	चेक वापस हो जाने के कारण समान राशि दूसरा चेक सं 475145 दिनांक 10.06.14 को भेजा गया
			2003575		70	

१७७

सोलर लाईट की विवरणी

Sl.No.	Model of SSLS	Battery Type	Net Price	Service Charge 7%	Total
1	11 watts CFL Based	VRLA/GEL Battery	26750	1872.50	28622.50

पुनः पत्रांक 551 दिनांक 17.07.14 एवं 639 दिनांक 09.08.14 को निदेशक ब्रेडा पटना को सोलर लाईट अधिष्ठापन करवाने हेतु अनुरोध किया गया । संचिका में सोलर लाईट के अधिष्ठापन प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। पत्रांक 1001 दिनांक 26.12.14 के द्वारा उपनिदेशक ब्रेडा पटना को लिखे पत्र में यह कहा गया कि 70 सोलर लाईट का अधिष्ठापन किया गया था जिसमें से अधिकांश सोलर लाईट जल नहीं रहा है। अर्थात चार माह के अंदर अधिकांश सोलर लाईट कार्य नहीं कर रहे थे। आपके द्वारा राजस्थान इलोक्ट्रोनिक्स एण्ड इन्स्ट्रमेनटेशन लिमिटेड द्वारा लगाया गया सोलर लाईट गुणवत्तापूर्ण है अथवा नहीं, की गुणवत्ता जॉच हेतु एक तकनीकी पदाधिकारी की आवश्यकता है। साथ ही उपरोक्त पत्र में पॉच साल रख– रखाव की बात भी लिखी गई थी। पुनः दिनांक 18.12.15 को टिप्पणी में दर्ज जानकारी के अनुसार 70 सोलर लाईट अर्थात आपूर्ति की गई सभी सोलर लाईट कार्य नहीं कर रहें हैं।

लेखापरीक्षा टिप्पणी

1. उल्लेखित 70 सोलर लाईट के अधिष्ठापन से संबंधित प्रमाण पत्र अधिष्ठापन तिथि सहित लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय। सोलर लाईट नगर पंचायत में किस तिथि को प्राप्त हुई संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत किया जाय।साथ ही भंडार पंजी में यदि प्रविष्टि की गई हो लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।
2. पत्रांक 1001 दिनांक 26.12.14 के द्वारा उपनिदेशक ब्रेडा पटना को लिखे पत्र में यह कहा गया कि अधिकांश सोलर लाईट जल नहीं रहा है। उक्त पत्र के आलोक खराब सोलर लाईट की संख्या कितनी थी ।
3. दिनांक 18.12.15 को टिप्पणी में दर्ज जानकारी के अनुसार 70 सोलर लाईट अर्थात आपूर्ति की गई सभी सोलर लाईट कार्य नहीं कर रहें थे। क्या उसके पश्चात सोलर लाईट की मरम्मति करायी गई। वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाय।
4. सोलर आपूर्ति हेतु ब्रेडा को दिये गए आपूर्ति आदेश में सोलर लाईट की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु क्या शर्ते निर्धारित की गई थी। संबंधित दस्तावेज लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय ।
5. सोलर लाईट की वारंटी कितने साल के लिए थी। संबंधित दस्तावेज वारंटी कार्ड के साथ लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय ।
6. ब्रेडा को सोलर लाईट मरम्मति के लिए इतने विलंब (26.12.14,18.12.15)से स्मार पत्र क्यों दिया गया।
7. ब्रेडा द्वारा संज्ञान नहीं लिए जाने पर क्या मामले की जानकारी जिला पदाधिकारी/राज्य सरकार को दी गई। संबंधित तथ्य साक्ष्य सहित लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में नगर पंचायत द्वारा निम्नलिखित जवाब दिया गया

1. अधिष्ठापन प्रमाण पत्र भूलवश ब्रेडा से नहीं लिया गया था, आगे से इसका अनुपालन किया जाएगा।
2. भंडार पंजी में सामग्री की प्रविष्टि नहीं की गई थी, आगे से की जाएगी ।
3. लगभग 50 सोलर लाईट नहीं जल रही थी ।
4. कोई मरम्मति नहीं की गई है।
5. इस तरह का बोर्ड दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।
6. वारन्टी कार्ड नहीं दिया गया था।
7. आगे से ध्यान रखा जाएगा।
8. इसकी सूचना उच्च प्रा0 को दी जाएगी।

उपरोक्त जवाब से स्पष्ट है कि कुल 70 लाईट में 50 सोलर लाईट खराब हो गये थे। एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद नगर पंचायत ब्रेडा से पत्राचार कर सोलर लाईट को बदलने की दिशा में कोई ठोस कारवाई नहीं कर पाया है। जिसके कारण व्यय की गई राशि 1431125 (50 सोलर लाईट के क्रय पर किया गया व्यय) निष्फल साबित हुई ।

कंडिका सं.– 3 कम जमा/नहीं जमा – ₹ 10.10 लाख

नगर पंचायत बनमनखी के विभिन्न प्राप्ति के जॉच में पाया गया कि वसूली कर्ता द्वारा वसूल की गई 1010190 रू राशि को नगर पंचायत कोष में जमा नही किया गया। (विवरण परिशिष्ट– III पर संलग्न है) उपरोक्त आपत्ति के जवाब में नगर पंचायत द्वारा कहा गया कि राशि को जमा कर साक्ष्य महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

जवाब संतोषप्रद नहीं है क्योंकि उपरोक्त राशि में 1010190 रू में से काफी राशि दो वर्षो से अधिक समय से जमा नहीं की गई हैं। राजस्व की राशि वसूल कर नगर कोष में जमा नहीं किया जाना घोर वित्तीय अनियमितता है। यह सक्षम पदाधिकारी स्तर से पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण की कमी दर्शाता है।

भाग –II ख

कंडिका सं 4 प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य में अनियमितताएँ 26.17 लाख

बिहार सरकार नगर विकास द्वारा मार्च 2007 में 65 नगर निकायों में प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु राशि 21.15 करोड़ स्वीकृत की गई थी। इसी के साथ नगर पंचायत को 38.50 लाख के मॉडल प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए नगर पंचायत, बनमनखी को 75 प्रतिशत अनुदान के रूप में राशि 28,87,875.00 की स्वीकृति दी गई। योजना के क्रियान्वयन हेतु श्री नारायण ठाकुर प्रधान सहायक को अभिकर्त्ता नियुक्त किया गया एवं उन्हें दिनांक– 24.04.2007 को कार्यादेश जारी किया गया जिसमें कार्यावधि एक माह की थी। कार्य की देख– रेख हेतु कनीय अभियंता श्री चंन्द्रशेखर झा एवं सहायक अभियंता मो0 औरंगजेब को आदेश दिया गया।

197

कार्यपालक अभियंता/एन0आर0ई0पी0 पूर्णियाँ द्वारा भवन निर्माण कार्य की जाँच (10.09.2007) में पाया गया कि बिना मॉडल प्राक्कलन का पुनरीक्षण किए ग्राउंड फ्लोर पर मॉडल की तुलना में 30% अधिक क्षेत्रफल पर कार्य शुरू किया गया। दिनांक– 22.09.2011 को नगर पंचायत द्वारा अभिकर्त्ता को सूचित किया गया कि उनके द्वारा कार्य पर राशि 26,16,500.00 अग्रिम स्वरूप प्राप्त की गयी है परंतु लंबी अवधि बीत जाने के बाद भी कार्य पूर्ण नही किया गया है। जवाब में अभिकर्त्ता द्वारा बताया गया कि वह मॉडल प्राक्कलन पर कार्य करने को तैयार नही था एवं कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रशासनिक भवन का नए दर पर प्राक्कलन बनाया गया एवं उनके द्वारा 28.06.2010 को अंतिम मापीपुस्त में कार्यमूल्य 23,29,912.00 समर्पित किया गया है एवं कनीय अभियंता की अनुशंसा पर ही उन्हें अंतिम अग्रिम – 3.00 लाख दिया गया था। कनीय अभियंता द्वारा दिनांक 30.09.2011 को सूचित किया गया कि चतुर्थ एवं चालू विपत्र जो मापीपुस्त के पृष्ट 34–49 पर अंकित है उनमें कराये गयें कार्यमूल्य अब तक 17,51,282.00 आता है एवं कृत कार्य के बाद श्री ठाकुर के नाम से असमायोजित अग्रिम राशि– 8,65,218.00 (26,16,500.00–17,51,282.00) है। पुनः उनके द्वारा बताया गया कि पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति नगर विकास विभाग से नहीं हुई है। नगर पंचायत द्वारा दिनांक 02.12.2011 को अभिकर्त्ता को निदेश दिया कि असमायोजित राशि 8,65,218.00 रू0 एक माह के अंदर नगर पंचायत बनमनखी में जमा करना सुनिश्चित करें। आदेश का पालन नही करने पर नगर पंचायत द्वारा दिनांक 12.01.2012 को सूचित किया गया कि इस योजना में अद्यतन मापीपुस्त के अनुसार 18,73,257.00 कार्यमूल्य दर्ज है एवं अभिकर्त्ता के पास अग्रिम की राशि 26,16,500.00 से कार्यमूल्य की राशि घटाने पर राशि 7,43,243.00 अवशेष बचा है। प्रशासनिक भवन निमार्ण कार्य लंबे अरसे से बंद है जिसे पूर्ण करने हेतु अभिकर्त्ता को निर्देश दिया गया था परन्तु उनके द्वारा कार्य शुरू नही किया गया और न ही असमायोजित राशि 7,43,243.00 वापस की गई। अतः निलाम पत्र पदा0/पूर्णियाँ को अनुरोध किया गया कि श्री नारायण ठाकुर, पूर्व कर दरोगा, नगर पंचायत बनमनखी के उपर निलाम पत्र वाद दायर किया जाए। आगे देखा गया कि दिनांक 28.04.2012 के अपने प्रतिवेदन में EE/DUDA पूर्णियाँ द्वारा कार्यालय को कहा गया कि बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के वास्तविक निर्माण के अनुसार प्रशासनिक भवन का पुनरीक्षण प्राक्कलन तैयार किया गया जिसकी स्वीकृत हेतु तत्कालीन सहायक अभियंता द्वारा तत्कालीन कार्यपालक अभियंता/NREP को समर्पित किया गया एवं उनके द्वारा प्राक्कलन पर तकनीकी स्वीकृत 43,46,230.00 रू0 दिनांक 23.09.2007 को दी गई। परन्तु नगर पंचायत कार्यालय द्वारा उक्त प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम पदाधिकारी से नही प्राप्त की गई। मूल तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृत मॉडल प्राक्कलन को ही मूल प्राक्कलन मानकर मापी एवं दरों का संधारण मापीपुस्त में कराया गया। परन्तु मूल स्वीकृति प्राक्कलन में स्वीकृति दर पर कार्यमूल्य 18,73,257.00 है।

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा दिनांक 07.03.2013 को नगर पंचायत प्रशासनिक भवन का पुनरीक्षित प्राक्कलन 60.09 लाख स्वीकृत करते हुए प्राक्कलन की 75% राशि का अंतर राशि

196

16,18,875.00 नगर पंचायत बनमनखी को स्वीकृत की गई। योजना का तकनीकी पर्यवेक्षण कार्यपालक अभियंता/डुडा को करना था। प्रशासनिक भवन के पुनरीक्षित प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति हेतु कार्यपालक अभियंता/डुडा द्वारा अधीक्षण अभियंता/बुडा पटना को अनुरोध किया गया था परन्तु दिनांक 16.09.2015 को पुनरीक्षित प्राक्कलन लौटाते हुए अधीक्षण अभियंता द्वारा विभिन्न कमियों के कारण कहा गया कि वर्तमान परिवेक्ष्य में पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति देना संभव नहीं है।

इस प्रकार वर्त्तमान तिथि तक प्रशासनिक भवन प्राक्कलित राशि 38.50 लाख पुनरीक्षित प्राक्कलन 60.09 लाख जो मार्च 2007 में स्वीकृत हुआ था एवं कार्यादेश अप्रैल 2007 में जारी किया था अब तक अपूर्ण स्थिति में है जिसके कारण अभिकर्त्ता को दिया गया अग्रिम 26.17 लाख निष्फल है। कार्यालय द्वारा अब तक न तो पुनरीक्षित प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गई है और न ही अभिकर्त्ता का अग्रिम समायोजिन किया गया है।

उपर्युक्त विषय के संबंध में निम्न सूचना उपलब्ध करायी जाए एवं लेखा परीक्षा आपतियों पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया।

1. जब नगर विकास विभाग द्वारा मार्च 2007 में मॉडल प्राक्कलन हेतु नगर बनमनखी के लिए प्रशासनिक भवन की स्वीकृति राशि 28,50,500 के लिए दी गई थी तो प्राक्कलन पुनरीक्षण की आवश्यकता के औचित्य से लेखापरीक्षा दल को अवगत नहीं कराया गया। साथ ही कार्यादेश जारी करने के पूर्व ही पुनरीक्षण नहीं किये जाने के कारणों से दल को अवगत नहीं किया गया। नगर विकास विभाग से इस संबंध में परामर्श लिया गया या नहीं यह भी स्पष्ट नहीं किया गया।

2. बिना अनुमोदन के कनीय अभियंता द्वारा 30% अधिक क्षेत्रफल पर Layout कराये जाने की आपत्ति के संबंध में भी कोई जवाब नहीं दिया गया।

3. दो मापीपुस्तों में कार्यमूल्य दर्ज किए जाने संबंधी आपत्ति का भी कोई जवाब नहीं दिया गया जबकि यहॉ उल्लेखनीय है कि एक मापीपुस्त के तृतीय मापी में कार्यमूल्य 23,29,912.00 दर्ज किया तो दूसरे मापीपुस्त के चतुर्थ मापी में कार्यमूल्य 17,51,282.00 दर्ज किया गया।

4. कार्यपालक अभियंता/डूडा/ पूर्णियाँ द्वारा मार्च 2013 में मॉडल प्राक्कलन (रू0 60.09 लाख) आने के बावजूद अब तक 3 वर्ष उपरान्त भी बुडा/पटना से इस भवन की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की जा सकी।

5. योजना की अद्यतन स्थिति से भी अवगत नहीं कराया गया।

उपरोक्त आपत्तियों के जवाब में नगर पंचायत द्वारा कहा गया कि संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी से पत्राचार कर वांछित सूचना उपलब्ध होने के बाद उसे ए0 जी0 कार्यालय को भेजा जाएगा ।

अत उपरोक्त संबंध में अद्यतन स्थिति से इस कार्यालय को सूचित किया जाय। उपरोक्त आपत्तियों के निराकरण तक राशि 26.17 लाख आपत्ति के अधीन रखी जा सकती है।

195

कंडिका सं.– 5 सैरात बंदोबस्ती की राशि जमा नहीं

बनमनखी नगर पंचायत के सैरात संचिकाओं, विविध रसीद एवं बैंक पासबुक के नमूना जॉच में पाया गया कि स्वामी विवेकानन्द बस पडाव के लिए 2015–16 हेतु सुरक्षित राशि 433696 रू के विरूद्ध अधिकतम बोली की गई राशि 1400500 रू पर बंदोबस्ती की गई । विवरण निम्नलिखित है–

सैरात का नाम	सुरक्षित राशि	बंदोबस्ती की राशि	बंदोबस्ती की जमा की गई राशि		कम जमा की गई राशि	बंदोबस्तधारी का नाम
			विविध रसीद सं / तिथि	राशि		
स्वामी विवेकानन्द बस पडाव	433696	1400500	5701 / 27.03.2015	1337500 (नकद – 808800 डीडी – 528700)	63000	श्री अनिल कुमार यादव

बैंक जमा का विवरण

राशि	बैंक में जमा राशि	अन्तर	बैंक में जमा की तिथि
808800	808800	0	27.03.15
528700	413600	115100	21.04.15

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि बंदोबस्तधारी के द्वारा 63000 रू जमा नहीं किया गया । साथ ही बैंक में जमा किये गए 6 डी डी की राशि 528700 रू में से 4 डी डी की राशि 413600 रू का ही जमा पाया गया। शेष दो डी डी की राशि रू 115100 का जमा नहीं पाया गया ।

उपरोक्त आपत्ति के जवाब में नगर पंचायत द्वारा कहा गया कि बैंक के साथ पत्राचार कर उचित कारवाई की जायेगी। बंदोबस्तधारी से राशि वसूल कर जमा करने की कारवाई की जा रही है।

राशि जमा कर महालेखाकार कार्यालय को सूचित किया जाए।

कंडिका सं.– 6 दुकानों का आवंटन नहीं होने से हानि – 0.68 लाख

नगर पंचायत, बनमनखी के बोर्ड के बैठक पंजी से ज्ञात होता है कि दिनांक 30.12.13 की बैठक के प्रस्ताव सं 09 में यह निर्णय लिया गया है कि मार्केटिंग काम्पलेक्स का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है परंतु संवेदक के द्वारा आज तक इसे कार्यालय को हैंडओवर नहीं किया गया है जिससे सरकारी राजस्व की क्षति हो रही है। अत निर्णय लिया गया कि संवेदक को नोटिस भेजकर हैंडओवर की प्रकिया पूर्ण की जाय और शीघ्रताशीघ्र इसे किराये पर लगाया जाय ।

पुन: बोर्ड के बैठक पंजी के ज्ञात होता है कि दिनांक 14.10.14 के बैठक के प्रस्ताव सं 01 में यह निर्णय लिया गया है कि मार्केटिंग काम्पलेक्स को 5000 अग्रिम एवं 500 रू प्रतिमाह की मासिक किराया पर दिया जाय। साथ ही एकरारनामा करवा कर दुकान की बंदोबस्ती की जाय । साथ ही वार्ड सं 08 स्थित पुस्तकालय भवन को भी उसी अग्रिम एवं मासिक किराया पर बंदोबस्त किया जाय जिससे नगर पंचायत को राजस्व की प्राप्ति हो।

लेकिन मार्केटिंग काम्पलेक्स मे बने 7 दुकानों एवं पुस्तकालय भवन को उपरोक्त निर्णयानुसार अंकेक्षण अवधि तक आवंटन नहीं करने से नगर पंचायत को 68000 रू की हानि हुई। विवरण निम्नलिखित है–

मार्केट काम्पलेक्स एवं पुस्तकालय में दुकानों की कुल संख्या	मासिक किराया	नवम्बर 14 से मार्च 16 तक माह की सं	कुल किराया की हानि
1	2	3	1X2x3
8 (7+1)	500	17	68000

उपरोक्त आपत्ति के जवाब में नगर पंचायत द्वारा कहा गया कि दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया चल रही है।

उपरोक्त जवाब संतोषप्रद नहीं है। दुकान शीघ्र आवंटित कर उसकी सूचना इस कार्यालय को दी जाय।

कंडिका सं.– 7 नक्शा पारित करने में श्रम सेस की वसूली नही किया जाना

प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या– वी0सी0 डब्लू0सी0–01/2008 द्वारा राज्य सरकार के सभी कार्य विभागों को यह सूचित किया गया था कि बिहार राज्य के निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के लिए "बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड" का गठन दिनांक–18.02.08 को किया जा चुका है। साथ ही सभी कार्यविभागों से यह अनुरोध किया गया था कि वित्तीय वर्ष 2007–08 से उनके द्वारा लिए गये योजनाओं के कुल लागत का 1 प्रतिशत सेस श्रम संसाधन विभाग के विकास भवन में गठित" बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड" में जमा करें।

इसके अतिरिक्त वैसे रिहायसी मकान जो निजी उपयोग के लिए बनाये गये थे और जिसका लागत 10 लाख रूपये से अधिक था उनसे एक प्रतिशत राशि नक्शा पारित करने के समय ही वसूल कर नगरपालिका मे जमा करना था। प्राधिकारी जिनके द्वारा सेस जमा किया जाएगा जमा किए जाने वाले कुल उपकरण राशि का एक प्रतिशत प्रशासनिक एवं अन्य खर्च हेतु व्यय कर सकेंगे। श्रम संसाधन विभाग द्वारा इसके व्यापक प्रचार– प्रसार के लिए समाचार पत्रों के माध्यम से भी यह सूचना प्रकाशित करायी गयी थी।

नगर पंचायत बनमनखी द्वारा उपलब्ध कराये गए अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात हुआ की किसी भी रिहायासी मकान जिसकी लागत 10 लाख रूपये से अधिक था. पर श्रम सेस की कटौती नहीं की गयी, जिसका (विवरण परिशिष्ट– VI पर) निम्न है :-

क्रम संख्या	आवेदकों की संख्या	कुल प्राक्कलित राशी	श्रम शेष की कटौती @ प्राक्कलित राशी का 1%	नगर पंचायत का हिस्सा (श्रम शेष का 1 %
1	15	19712200	197122 (19712200 *1%)	1971 (197122 * 1%)

(विवरण परिशिष्ट– VI पर)

जवाब में नगर पंचायत द्वारा कहा गया कि भूलवश कटौती नहीं की जा सकी है, भविष्य में श्रम उपकर की कटौती की जाएगी।

(193)

कंडिका सं.– 8 मोबाईल टावर पंजीकरण/नवीकरण शुल्क की बकाया राशि 6.71 लाख

बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 के नियम 6 के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र अन्तर्गत स्थापित मोबाईल टावरों से पंजीकरण शुल्क के रुप में 30000 प्रति टावर तथा वार्षिक नवीकरण शुल्क 8000 रू प्रति टावर प्रतिवर्ष देय है। इसके अलावा, एक ही टावर पर प्रत्येक अतिरिक्त एन्टिना के लिए 60 प्रतिशत पंजीकरण शुल्क एवं नवीकरण शुल्क वसूलनीय है।

नगर पंचायत बनमनखी द्वारा मोबाइल टावर के पंजीकरण एव नवीकरण के बकाये राशि के उपलब्ध कराये गए विवरण के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत अब तक स्थापित कुल 11 मोबाइंल टावर पर पंजीकरण एवं नवीकरण शुल्क की राशि 671448 रू बकाया थी। जिसमें से तीन मोबाइल टावर ऐसे थें जिनका पंजीकरण शुल्क भी जमा नहीं था अर्थात अपंजीकृत थे। हालॉकि उसमें से एक टावर अब अस्तित्व में भी नहीं था। विस्तृत विवरण परिशिष्ट– IV पर संलग्न है।

साथ ही मोबाइल टावर पर स्थित प्रत्येक अतिरिक्त एन्टिना के लिए 60 प्रतिशत पंजीकरण शुल्क एवं नवीकरण शुल्क लिया जाना शेष था।

उपरोक्त आपति के जवाब में नगर पंचायत द्वारा कहा गया कि वसूली हेतु कार्रवाई की जाएगी। अतः वसूली की कार्रवाई पूरी कर इस कार्यालय को सूचित किया जाय।

कंडिका सं.– 9 मकान कर /सम्पत्ति कर के कम अधिरोपण से हानि – ₹ 1.31 लाख

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 127 के तहत वार्षिक किराया मूल्यांकन की राशि का न्यूनतम 9 प्रतिशत के दर से मकान कर/सम्पत्ति कर का अधिरोपण कर वसूली किया जाना था। लेकिन नगर पंचायत, बनमनखी के मकान कर/सम्पत्ति कर के मांग व वसूली पंजी एवं उपलब्ध कराये गए विवरण (17 वार्ड में से 6 वार्ड का ही विवरण उपलब्ध कराया गया) के अनुसार 6 प्रतिशत की दर से मकान कर/सम्पत्ति कर वसूली की जा रही थी जिसके कारण नगर पंचायत को ₹132791.18 की हानि हुई। विवरण निम्नलिखित है–

ward no	no of holdings	total annual holding tax @6%	total annual holding tax @9%	difference	no of year from 2014-15 to 2015-16	loss of amount due to lower imposition of tax
1	469	18381	27572	9191	2	18382
2	287	36919	55378	18459	2	36918
3	385	26040.36	39060.54	13020	2	26040
4	310	20297.94	30446.91	10148.97	2	20297.94
5	252	17401	26100	8705.99	2	17411.98
6	568	13741.26	20611.89	6870.63	2	13741.26
		132780.56	199169.34			132791.18

लेखापरीक्षा टिप्पणी

1. कम दर से मकान कर /सम्पत्ति के अधिरोपण से हुई रू 132791.18 हानि का कारण लेखापरीक्षा को स्पष्ट नहीं किया गया।

2. शेष 11 वार्ड का उपरोक्त विवरणी एवं 6 प्रतिशत की मकान कर /सम्पत्ति के दर का अधिरोपण संबंधित बोर्ड की बैठक पंजी /संचिका लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

3. पाँच साल पर मकान कर /सम्पत्ति कर के दर का पुर्निधारण नहीं किये जाने का कारण स्पष्ट नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गए आपतियों के जवाब में नगर पंचायत द्वारा कहा गया कि बोर्ड के निर्देशानुसार कर की वसूली की जा रही है। आगे से सरकारी निर्देश के आलोक में उचित निर्णय ली जाएगी ।

उपरोक्त जवाब संतोषप्रद नहीं है क्योंकि सम्पत्ति कर का पुर्ननिर्धारण पाँच वर्ष के अंतराल पर की जानी थी जो कि सात साल बीत जाने के बाद भी नहीं की गई थी।

कंडिका सं.– 10 अंकेक्षण आपत्ति के पश्चात जमा की गई राशि

नगर पंचायत, बनमनखी के विभिन्न प्राप्ति रसीद की जाँच में पाया गया कि वसूलीकर्ता द्वारा वसूल की गई राशि में 8057 रू नगर पंचायत कोष में जमा नही किया गया था जिसे अंकेक्षण आपत्ति निर्गत करने के पश्चात जमा किया गया। विवरण निम्नलिखित हैं–

Sl. No.	Receipts No.	Date of receipt	Amount collected (Rs.)	deposited amount	short deposit / non deposit	type of receipt	Name of tax collector	Deposited at the instance of audit through MR no / date
1	9530-9562	30.03.16 to 31.03. 16	2620	-	2620	H.R.	Sanjay Kr. Mishra	5726 / 26.04.16 Rs.5320
2.	265-300	12.07.13 to 05.09.13	26700	25500	1200	M.R.	--do--	
3.	293	29.08.13	1500	600	900	M.R.	--d0--	
4.	383	25.11.13	600		600	M.R.	--do--	
5	1-100	30.12.15 to 11.03.16	1000		1000	M.R. of death and birth	Omprakash Kesari	5870 /25.04.16 Rs. 2737
6	101-106	11.03.16 to 26.03.16	60		60	"	--Do--	
7	1742-1800	06.04.15 to 19.08.15	542		542	"	--Do--	
8	1801-1830	19.08.15 to 29.08.15	292		292	"	--Do--	
9	1831-1900	22.09.15 to 01.03.16	594		594	"	--Do--	
10	1901-1917	01.03.16 to 30.03.16	149		149	"	--D0--	
Total					8057			8057

अत सक्षम प्राधिकारियों से अनुरोध है कि वसूली गई राशि को नगर पंचायत कोष में ससमय जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

कंडिका– 11 अप्राधिकृत व्यय– 3.22 करोड़

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के तहत जिला विकास योजना को ध्यान में रखकर तैयार योजना और राज्य सरकार योजना, यथास्थिति, नगरपालिका विकास योजना के उस अंशों को कार्यान्वित करेगी, जो उसके क्षेत्राधिकार से संबंधित हो, और ऐसे कार्यों का निर्वाह करेगी जो उसे इस ओर से विनिर्दिष्ट हो।

नगर पंचायत बनमनखी द्वारा अवधि 2013–14 से 2015–16 तक विभिन्न मदों के अन्तर्गत कार्यान्वित योजनाओं से संबंधित अभिलेखों के अवलोकन से ज्ञात हुआ की नगर पंचायत द्वारा पिछड़ा क्षेत्रअनुदान कोष के अन्तर्गत कार्यान्वित योजनायें हीं जिला योजना समिति के प्रारुप में सम्मिलित और राज्य सरकार

(131)

द्वारा अनुमोदित है। अन्य मदों (यथा चतुर्थ वित्त योजना, 13वीं वित्त योजना) पर बिना जिला योजना समिति के अनुमोदन हुए कुल राशि रु0 32206503 का व्यय हुआ है जिसका विवरण निम्न है:–

क्र0	मद	योजनाओं की सं0	कुल व्यय
1	2	3	4
1	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	60	2,32,99,869.00
2	13वीं वित्त	02	30,19,248.00
3	स्थापना	05	25,06,181.00
4	14वीं वित्त	09	33,81,205.00
कुल:–		76	3,22,06,503.00

इस प्रकार 76 (छिहत्तर योजनाऐं (व्यय राशि– 3.22 करोड़) बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से क्रियान्वित की गई।

उपरोक्त योजनाओं का बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार जिला योजना समिति के अनुमोदन प्राप्त किये बिना क्रियान्वयन किये जाने के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा पृच्छा किए जाने पर नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि आगे से की जाने वाली योजनाओं का अनुमोदन सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त कर ली जाएगी। जवाब संतोषप्रद नहीं है क्योंकि उपरोक्त योजनाओं का कार्यान्वयन जिला योजना समिति के अनुमोदन के पश्चात ही किया जाना था।

कंडिका– 12 असमायोजित अग्रिम 122.12 लाख

नगर पंचायत बनमनखी में संधारित अग्रिम पंजी के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि अवधि अप्रैल 2013 से 2016 तक विभिन्न कर्मचारियों को अग्रिम प्रदान किया गया। प्रदत अग्रिम में वैसे अग्रिम जो असमायोजित है, का विवरण निम्न है:–

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम व पद	असमायोजित अग्रिम
1	सुनील कुमार मिश्रा, कार्यालय कर्मी	67000
2	विजय कुमार, निम्नवर्गीय लिपिक	4600000
3	शेभानंद यादव, तहसीलदार	7509944
4	अजय कुमार सिन्हा, कार्यालय कर्मी	24874
5	शिवशंकर कामती, कार्यालय कर्मी	3000
6	संजय कुमार मिश्रा, तहसीलदार	2481
7	सदानंद मलिक, सफाई कर्मी	2500
8	रजत रंजन, कम्प्यूटर ऑपरेटर	2500
	कुल	12212299

इस प्रकार पाया गया कि कुल रू0 1.22 करोड़ की राशि असमायोजित अग्रिम के रूप में पड़ी हुई है।

नगर पंचायत द्वारा जबाब में बताया गया कि अधिकांश राशि का समायोजन हो चुका हैं परन्तु समय अभाव के कारण पंजी में प्रविष्टि नहीं की जा सकी है। इसे शीघ्र कर लिया जाएगा।

राशि का समायोजन कर इस कार्यालय को साक्ष्य सहित सूचित किया जाय।